

राज्य आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम
Major Programmes under Central Assistance for State Plans

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		बजट Budget 2016-17
I. अनुदान/ऋण	I. Grants/Loans	60614.06
1 विशेष सहायता	1 Special Assistance	9000.00
2 स्वायत्त परिषदों और संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों को अनुदान	2 Grants to Autonomous Councils and areas covered under the sixth schedule of the Constitution	1000.00
3 बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं-अनुदान	3 Externally Aided Projects- Grants	2350.00
4 बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं-ऋण	4 Externally Aided Projects- Loans	12500.00
5 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल	5 Central Pool of Resources for North Eastern Region and Sikkim	900.00
6 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	6 Schemes of North Eastern Council	795.00
7 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत स्कीमें	7 Schemes under proviso to Article 275 (1) of the Constitution	1400.00
8 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	8 Special Central Assistance to Tribal Area Sub-Plan	1250.00
9 केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को सहायता	9 Assistance to States from Central Roads Fund	30619.06
10 अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	10 Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub- Plan	800.00
II. वित्त आयोग अनुदान	II Finance Commission Grants	100646.36
1 अंतरण पश्च राजस्व घाटा अनुदान	1 Post Devolution Revenue Deficit Grants	41308.00
2 स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2 Grants for local bodies	48868.36
क. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	a Grants for Rural Local Bodies	33870.52
ख. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	b Grants for Urban Local Bodies	14997.84
3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए अनुदान सहायता	3 Grants -in-aid for State Disaster Response Fund	10470.00
4. अन्य वित्त आयोग अनुदान (सड़कों और पुलों का रखरखाव, राज्य विशिष्ट आवश्यकताएं, पर्यावरण, अभिशासन, प्रारंभिक शिक्षा)	4 Other Finance Commission Grants (maintenance of roads and bridges, state-specific needs, environment, governance, elementary education)	...
III. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें - कुल आवंटन	III. Centrally Sponsored Schemes - Total Allocation	226820.70
क. मुख्य स्कीमों में प्रमुख	(A)Core of the Core Schemes	56186.65
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	1 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	38500.00
2 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2 National Social Assistance Programme	9500.00
3 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम	3 Umbrella Programme for Development of Scheduled Castes	3917.89
4 अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम (वनबन्धु कल्याण योजना और जनजातीय बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला स्कीम)	4 Umbrella Scheme for Development of Scheduled Tribes (Vanbandhu Kalyan Yojna and Umbrella Scheme for education of ST children)	1759.22
5 पिछड़े वर्गों और अन्य संवेदनशील समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला स्कीम	5 Umbrella Scheme for Development of Backward Classes and other vulnerable groups	1264.54
6 अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम	6 Umbrella Scheme for Development of Minorities.	1245.00
क. अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	a Multi-Sectoral Development Programme for Minorities	1125.00
ख. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा स्कीम	b Education Scheme for Madrasas and Minorities	120.00
(ख) प्रमुख स्कीमें	(B)Core Schemes	168992.05
7 हरित क्रांति	7 Green Revolution	12979.79
क. कृषोन्नति योजना	a Krishonnati Yojna	7579.79
ख. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	b Rashtriya Krishi Vikas Yojna	5400.00
8 श्वेत क्रांति	8 White Revolution	1273.46
9 नीली क्रांति	9 Blue Revolution	575.34
10 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	10 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY)	5717.13
क. हर खेत को पानी	a Har Khet ko Pani	500.00
ख. जल संसाधन मंत्रालय में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्कीमें	b Accelerated Irrigation Benefit Programme and other schemes under PMKSY in Water Resources Ministry	1377.13
ग. प्रति बूंद अधिक फसल	c Per Drop More Crop	2340.00
घ. एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	d Integrated Watershed Management Programme	1500.00

राज्य आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम
Major Programmes under Central Assistance for State Plans

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		बजट Budget
		2016-17
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000.00
12	राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	5000.00
13.	स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए)	11300.00
	क. एसबीए-ग्रामीण	9000.00
	ख. एसबीए-शहरी	2300.00
14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	20037.00
	क. एनएचएम : ग्रामीण और शहरी मिशन	19037.00
	ख. एनएचएम : स्वास्थ्य और जन चिकित्सा में मानव संसाधन	600.00
	ग. एनएचएम : आयुष	400.00
15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आरएसएसवाई)	1500.00
16	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम)	28010.00
	क. एनईएम : सर्व शिक्षा अभियान	22500.00
	ख. एनईएम : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3700.00
	ग. एनईएम : अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ शिक्षा	510.00
	घ. एनईएम : राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान	1300.00
17	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	9700.00
18	एकीकृत बाल विकास स्कीम (अम्ब्रेला आईसीडीएस)	16119.90
	क. कोर आईसीडीएस	14000.00
	ख. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	862.90
	ग. मातृत्व लाभ कार्यक्रम (आईजीएमएसवाई)	400.00
	घ. किशोरियों हेतु योजना, सबला, केएसवाई	460.00
	ङ. एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम	397.00
19	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	20075.00
	क. पीएमएवाई - ग्रामीण	15000.00
	ख. पीएमएवाई - शहरी	5075.00
20	राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनएलएम)	3325.00
	क. एनएलएम - ग्रामीण आजीविका	3000.00
	ख. एनएलएम - शहरी आजीविका	325.00
21	वानिकी तथा वन्य जीव (एफ एंड डब्ल्यू एल)	755.02
	क. एफ एंड डब्ल्यू एल - हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन	155.01
	ख. एफ एंड डब्ल्यू एल - वन्य जीवों का समेकित विकास पर्यावास (बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना सहित)	500.00
	ग. एफ एंड डब्ल्यू एल - प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण	100.01
22	शहरी नवीकरण मिशन (अमृत तथा 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का मिशन)	7295.50
23	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1753.90
24	न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	625.01
25	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3950.00
(ग)	वैकल्पिक स्कीम	1642.00
26	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	990.00
27	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	352.00
28	श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन	300.00
	कुल जोड़	388081.12

टिप्पणी: इस विवरण में ब.अ. 2016-17 के लिए आवंटन ही सन्निहित है क्योंकि नई युक्ति संगत स्कीम को पूर्ववर्ती स्कीमों के बीच एक से एक की संगतता बनाना तत्काल व्यावहारिक नहीं है।

Note: This Statement contains the allocations for BE 2016-17 only as it is not immediately feasible to draw a one to one correspondence between the newly rationalised scheme with the earlier ones.